न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(कुशल कुमार कोठारी, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

जीसीएमएस न0:— 2021 / 63
अपील संख्या :— 13 / 2021
दायर दिनांक :— 19.03.2021
निर्णय दिनांक :— 03.09.2021

अनवान

श्री मांगीलाल पिता नाथू गुर्जर (बगडवाल), निवासी चारभुजा तह0 गढबोर,जिला— राजसमन्द
———अपीलांट

बनाम

1. उपतहसीलदार गढबोर, तहसील गढबोर, जिला राजसमन्द

———रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार, गढबोर नामान्तरकरण संख्या 2673 दिनांक 18.12.2001

उपस्थित :—

1—श्री अशोक सोनी ,अधिवक्ता अपीलांट

—:: निर्णय ::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । राजस्व ग्राम मौजा गढबोर, पटवार हल्का गढबोर, तहसील गढबोर की जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 तक की खाता संख्या 211 नई 220 पुरानी की खसरा संख्या 4206 / 1च. रकबा 3—02—00 बीघा भूमि अपीलान्ट के पिता नाथू पिता मोडा गुर्जर (वगडवाल) के नाम दर्ज थी, जिस पर अपीलान्ट व उसके पूर्वाधिकारी काबिज होकर उपयोग—उपभोग कर रहे थे। नाथू पिता मोडा गुर्जर (चौहान) की मृत्यू होने के उपरान्त विरासत से खोले गये नामान्तरण संख्या 2673 से अपीलान्ट के पिता की उक्त वर्णित भूमि भी नाथू पिता मोडा गुर्जर (चौहान) के वारिसान के नाम दर्ज कर दी गई। अपीलान्ट उक्त पारित निर्णय से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांटगण को उक्त नामान्तरकरण निर्णित होने की जानकारी राजस्व अभिलेखों की नकलें दिनांक 28.01.2021 को निकलवाने पर हुई । इससे पहले कभी भी जानकारी नहीं हुई । अतः जानकारी के अभाव में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील अवधि में शुमार किया जावे।

अतिरिक्त कलक्टर
राजसमन्द

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया।

प्रार्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की मयाद के प्रश्न पर बहस सुनी गयी । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 2673 दिनांक 18.12.2001 विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है । राजस्व ग्राम मौजा गढबोर, पटवार हल्का गढबोर, तहसील गढबोर की जमाबंदी संवत् 2055 से 2058 तक की खाता संख्या 211 नई 220 पुरानी की खसरा संख्या 4206/1च, रकबा 3–02–00 बीघा भूमि अपीलान्ट् के पिता नाथू पिता मोडा गुर्जर(वगडवाल) के नाम दर्ज थी, जिस पर अपीलान्ट व उसके पूर्वाधिकारी काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे थे। राजस्व ग्राम मौजा गढबोर, के नाथू पिता मोडा गुर्जर (चौहान) की मृत्यू होने के कारण उनके विरासत से खोले गये नामान्तरण संख्या 2673 से अपीलान्ट के पिता की उक्त वर्णित भूमि भी नाथू पिता मोडा गुर्जर (चौहान) के वारिसान के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि नाथू पिता मोडा गुर्जर (चौहान) की मृत्यु के बाद इनके नाम दर्ज भूमियों का ही नामान्तरण खोला जाना था, लेकिन अपीलान्ट् के पिता का नाम व नाथू पिता मोडा गुर्जर (चौहान) का नाम मिलता जुलता होने तथा राजस्व रेकार्ड में खाते के पास–पास होने से अपीलान्ट के पिता के जीवनकाल में ही उनकी उक्त वर्णित भूमि को नाथू पिता मोडा गुर्जर (चौहान) के खोले गये नामान्तरण में शामिल करते हुए उप तहसीलदार गढबोर ने बिना जमाबन्दी के खातो व राजस्व रेकार्ड की बिना जॉच किए ही अपीलान्ट के पिता के नाम दर्ज भूमि को नाथू पिता मोडा गुर्जर (चौहान) के नाम दर्ज करने तथा नामान्तरण निर्णित करने की भारी भुल की है। जिस हेतू अपीलान्ट द्वारा सिर्फ अपनी भूमि जिसके खसरा संख्या 4206/1 च. नवीन आराजी 4947/ 4202 की हद तक उक्त नामान्तरणकरण को निरस्त करवाने हेतू यह अपील पेश की है। अपीलान्ट अनपढ है और गांव का रहने वाला होकर मजदुर व्यक्ति हैं, तथा अपीलान्ट् के पिता की मृत्यु हो चुकी हैं, जब अपीलान्ट् को उक्त अशुद्धी का पता चला तो अपीलान्ट ने राजस्व रेकार्ड में उक्त अशुद्धि को सुधार करने हेतू राजस्व लोक अदालत शिविर– 2015 में लगे गॉव गढबोर शिविर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर राजस्व रेकार्ड में हुई अशुद्धी को सुधार कर शुद्धी पत्र संख्या 2 निर्णय दिनांक 13.07.2015 से पुनः उक्त आराजी नाथू पिता मोडा गुर्जर (वगडवाल) के नाम दर्ज की गई, जिस पर नाथू पिता मोडा गुर्जर (चौहान) के वारिसान द्वारा उक्त शुद्धि पत्र को निरस्त करवाने के संबंध में अपील आप न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसके अपील संख्या 19/2016 हैं, जिसमें आप न्यायालय द्वारा दिनांक 02.07.2017 को उक्त शुद्धि पत्र को जॉच विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतू रिमाण्ड की गई, जिस पर दिनांक 06.11.2020 को हुए निर्णय अनुसार निर्णय की पालना में अपीलान्ट् द्वारा उक्त नामान्तरण को खसरा संख्या 4206/1 च0 की हद तक निरस्त करवाने हेतु अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। तथा रिमाण्ड की गई पत्रावली संख्या 1/2018 में दिनांक 06.11.2020 को हुए निर्णयानुसार उक्त नामान्तरण को अपीलान्ट की आराजी तक निरस्त करवाने हेतू आदेश दिया गया, इसलिए उपतहसीलदार गढबोर को आवश्यक पक्षकार होने से रेस्पोडेन्ट बनाया गया है।

प्रार्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय एव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक का नाम व पिता का नाम एक जैसा होने से भूल वश खाता संख्या 211 भी नामान्तरण संख्या 2673 में शामिल कर लिया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है,

कि नामान्तरण संख्या 2673 निर्णय दिनांक 18.12.2001 में खाता संख्या 211 आराजी संख्या 4206/1 च. नवीन आराजी (4947/4202) रकबा 03–02–00 बीघा की हद तक निरस्त कर इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) की जाती हैं कि अपीलान्ट को सुनकर तथा साक्ष्य सबूत के आधार पर विधि अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(कुशल कुमार कोठारी)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 03.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द